



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 2010/फाल्गुन 22, 1931

No. 69]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 2010/PHALGUNA 22, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए बेतनमान, सेवा शर्तें और अहंतार्दृष्टिनियम, 2010]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

फा. सं. 37-३/विधि/2010.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठिगं धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोग्यता एवं आरंभ :

1.1 इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए बेतनमान, सेवा शर्तें और अहंतार्दृष्टिनियम, 2010 का] विनियम, 2010 कहा जाएगा।

1.2 ये उन तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रही हैं जैसे कि परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं।

1.3 ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

सामान्य :

(i) पॉलीटेक्नीकों में शिक्षकों के संबंध में पदनाम होंगे, अर्थात् व्याख्याता, विधान अध्यक्ष और कार्यशाला अधीक्षक।

(ii) पॉलीटेक्नीकों में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के बेतन उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक बोर्ड बेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ 15600—39100 रु. तथा 37400—67000 रु. के दो बेतन बैंडों में निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक बेतन बैंड में शैक्षणिक बोर्ड बेतन की विभिन्न अवस्थाएँ होंगी, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संघों के पास, अहंता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अवधीन, उनके कैरियर के दौरान कार्यवर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित बेतनमान, सेवा शर्तें तथा कैरियर संवर्धन स्कीम :

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बेतन संरचना नीचे दर्शाएँ गए अनुसार होंगी :

(क) पॉलीटेक्नीकों में व्याख्याता

(1)

(i) उपयुक्त शाखा/विषय-क्षेत्र में बीटैक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया—नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 5400 रु0 के एजीपी के साथ 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे उपयुक्त शाखा/विषय-क्षेत्र में निष्णात की अर्हता पूरी कर लेने पर 6000 रु0 के एजीपी में चले जाएंगे।

(ii) उपयुक्त शाखा/विषय-क्षेत्र में बी.ई./एम.टैक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया—नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 6000 रु0 के एजीपी के साथ 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(iii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला व्याख्याता, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हो, 7000 रु0 के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(iv) प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में, जैसाकि तकनीकी शिक्षा के लिए परिनापित है, निष्णात डिग्री.धारण करने वाला व्याख्याता, व्याख्याता के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने में उपरांत 7000 रु0 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(v) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 6000 रु0 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(vi) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 7000 रु0 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(vii) सभी व्याख्याताओं के लिए 5000 रु0 के एजीपी से 6000 रु0 के एजीपी में तथा 6000 रु0 के एजीपी से 7000 रु0 के एजीपी में लघूर्वर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(viii) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पदों के पदधारियों का वेतन (अर्थात् 10000—15200 रु0 का पूर्व—संशोधित मान) उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी 7000 रु0 होगा।

(ix) 7000 रु0 के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन, 8000 रु0 के एजीपी में जाने के लिए पात्र होंगे।

(x) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 12000—18300 रु0 के पूर्व—संशोधित वेतनमान में 1.1.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400—67000 रु0 के वेतन बैंड में रखे जाएंगे तथा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने जारी रहेंगे।

(xi) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000—18300 रु के वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक 8000 रु के एजीपी के साथ 15600—39100 रु के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखे जाएंगे, जब तक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते, तथा उसके पश्चात उन्हें 37400—67000 रु के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा अनुसार व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) पदनामित दिया जाएगा।

(xii) 8000 रु के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड), अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन, 9000 रु के एजीपी के साथ 37400—67000 रु के वेतन बैंड में रखे जाने के पात्र होंगे।

(xiii) विभागाध्यक्ष का पद 9000 रु एजीपी के साथ 37400—67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्ती हुए विभागाध्यक्ष को 37400—67000 रु के वेतन बैंड में, जिसमें 9000 रु का एजीपी होगा, नियुक्ति के निवंधन और शर्तों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(xiv) 9000 रु के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. धरण करने वाले विभागाध्यक्ष अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अध्यधीन पात्र होंगे तथा उन्हें 10000 रु के एजीपी के साथ 37400—67000 रु में रखा जाएगा।

(xv) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के स्तर पर प्रासंगिक सीधी—भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें ये होंगी, जो अनातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई हैं।

(xvi) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक से अन्यून दो पुनर्वर्यां कार्यक्रमों तथा एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यधीन प्रभावी किए जाएंगे।

कार्यशाला अधीक्षक:

कार्यशाला अधीक्षक को व्याख्याता के समकक्ष नाना जाएगा तथा उस पर ऊर्ध्वर्ती संचलन के लिए व्याख्याता के ही समान ही विचार किया जाएगा।

पॉलीटेक्नीकों में प्राचार्यों के वेतन मान:

पॉलीटेक्नीकों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियां अभातशिप द्वारा समय—समय पर निर्धारित शैक्षणिक अहंताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अहंता शर्तों के आधार पर होंगी, तथा प्राचार्य का पद 10,000 रु के एजीपी के साथ 37400—67000 रु के वेतन बैंड में होगा, जिसमें 2000 रु प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को 10000 रु के एजीपी के साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा तथा वे 2000 रु प्रतिमाह के विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष:

(i) 8000–13500 रु० के पूर्व–संशोधित वेतन मान वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600–39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताओं की सभी शर्तें लागू होंगी।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान):

(i) 10000–15200 रु० के पूर्व–संशोधित वेतन मान में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, (वरिष्ठ मान) / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) के पदों को 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600–39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, 6000 रु० के एजीपी में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600–39100 रु० के वेतन बैंड में 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iii) प्रवेश स्तर पर पीएच.डी. धारण न करने वाले परंतु पुस्तकालय विज्ञान में केवल एम.फिल रखने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, 6000 रु० के एजीपी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र बन जाएंगे।

(iv) 6000 रु० के एजीपी में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रासंगिक पीएच.डी. और एम.फिल न धारण करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, यदि अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(v) 10000–15000 रु० के पूर्व–संशोधित वेतन मान में विद्यमान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) का वेतन उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600–39100 रु० के वेतन मान में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

उप–पुस्तकालयाध्यक्ष / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)

(i) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष, जो सीधी भर्ती पर आए हैं, भर्ती के समय प्रारंभिक रूप से 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600–39100 रु० के वेतन बैंड में रखे जाएंगे।

(ii) 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) / कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान), उनके द्वारा अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तों के पूरा करने पर (जैसे उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच.डी. डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य आदि), 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 रु० के वेतन बैंड में

उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष के पद/समकक्ष पद के लिए पात्र होंगे। उन्हें, यथारिति, उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनाम दिया जाएगा।

(iii) उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उसके समकक्ष पदों के लिए प्रोन्नति के संबंध में प्रवरण ग्रेड समिति द्वारा चयन की विद्यमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

(iv) 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन 9000 रु० के एजीपी तथा 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

(v) 7000 रु० के एजीपी में विश्वविद्यालयों में सहायक पुरस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुरस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) भी जिनके पास पुरस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य नहीं है, परंतु जो अगातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं, 8000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(vi) उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को 12000—18300 के पूर्व—संशोधित वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किए जाएंगे। उन्हें उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में कॉलेज पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(vii) उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारक, जिन्होंने 37400—57000 रु० के उच्च वेतन बैंड में रखे जाने के लिए पात्र होने के लिए 12000—18300 रु० के पूर्व—संशोधित वेतनमान में तीन वर्ष की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है, उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुरस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(viii) सीधे भर्ती हुए उप—पुरस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में वेतन 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में प्रारंभिक रूप से नियत किया जाएगा। वे 8000 रु० के एजीपी में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतनमान में चले जाएंगे।

(ix) अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की विद्यमान शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यताएं उप—पुरस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

पीएच.डी./एम.टैक तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन:

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम—कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासारिक विषय—क्षेत्र में प्रदान की गई

पीएच.डी. की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी।

(ii) व्याख्यता के पद पर नियुक्ति के समय एम.फिल. डिग्रीधारक दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी साविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.टेक. स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच.डी. डिग्री पूरी करते हैं, तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लाभ ले सकेंगे, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया है।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी साविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.फिल अथवा एम.टेक डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन-वृद्धि के पात्र होंगे।

(viii) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी जो प्रवेश स्तर पर किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. के साथ भर्ती हुआ हो, जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

(ix) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य पुस्तकालय कार्मिक, जिन्होंने सेवा काल के दौरान किसी भी समय, नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य तथा मूल्यांकन के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. की डिग्री अर्जित कर ली है, तीन गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(x) तथापि, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर पदों के व्यक्तित्व, जिन्हें जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम—कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर—चक्रवर्ती वेतन—वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी यूजीसी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के साथ सहयोजित होने के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(xi) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर स्थितियों के व्यक्तियों के प्रत्येक अन्य मामले के संबंध में, जिन्होंने पहले ही पीएच.डी. के लिए नामांकन करा लिया है, वे तीन गैर—चक्रवर्ती वेतन—वृद्धियों का लाभ तभी उठाएंगे यदि पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय यूजीसी से अधिसूचित है, तथा उसने, यथारिति, पाठ्यक्रम—कार्य अथवा मूल्यांकन के लिए अथवा दोनों ही के संबंध में पीएचडी प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

(xii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सेवा काल में उच्च पुस्तकालय पदों में नियुक्ति व्यक्ति, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तभी तीन गैर—चक्रवर्ती वेतन—वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जब ऐसा नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय के साथ किया गया हो, जो नामांकन सहित यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

(xiii) दो गैर—चक्रवर्ती अग्रिम वेतनवृद्धियां ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अनुमेय होंगी जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री होगी। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा ऐसे उच्च स्थितियों के कार्मिक, जिनके पास उनके सेवा काल के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री अर्जित है, वे भी एक अग्रिम वेतन—वृद्धि के पात्र होंगे।

(xiv) पूर्ववर्ती खंडों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मी जिन्होंने पूर्व स्कीम के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए अग्रिम वेतन—वृद्धियों का लाभ पहले ही उठा लिया है, इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम वेतन—वृद्धियों के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(xv) प्रवेश स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जहां पूर्व स्कीम के अंतर्गत पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए ऐसी कोई वेतनवृद्धि अनुमेय नहीं थी, केवल उन्हीं नियुक्तियों को पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए पांच अग्रिम वेतन—वृद्धियों का लाभ उपलब्ध रहेंगे, जो इस स्कीम के प्रवृत्त होने पर अथवा इसके पश्चात की गई हैं।

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम:

(क) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (सहायक डीपीई)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (कॉलेज डीपीई)

- (i) 8000—13000 रु० के पूर्व—संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक निदेशक/कॉलेज डीपीई को 6000 रु० की एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।
- (ii) पदधारी सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के नियतन सूत्र के अनुसार, 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।
- (iii) अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक अर्हताओं की समरत विद्यमान शैले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई की सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।
- (ख) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान)
- (i) 10000—15200 रु० के पूर्व—संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।
- (ii) 6000 रु० के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को, 6000 रु० के एजीपी में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा—निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 7000 रु० के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।
- (iii) 8000 रु० के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम.फिल धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 6000 रु० के एजीपी में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।
- (iv) प्रासांगिक पीएच.डी. तथा एम.फिल न रखने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई, 6000 रु० के एजीपी में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई के रूप में छठे वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा—निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।
- (v) पदधारक सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के नियतन सूत्र के अनुसार 7000 रु० के एजीपी में 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।
- (ग) उप—शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण घेड़)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण घेड़)
- (i) 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों की संतुष्टि के अधारीन सहायक

शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान) /कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में 8000 रु0 के एजीपी में चले जाएंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप—शारीरिक शिक्षा निदेशक /सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड) /कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) 8000 रु0 के एजीपी तथा 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता के अध्यधीन, उप—डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड) /कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड), 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400—67000 रु0 के वेतन बैंड में चले जाएंगे। उन्हें उप—डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड) /कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(iii) उप—डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 वारे गैर—संशोधित 12000—18300 के वेतन मान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400—67000 रु0 के वेतन बैंड में नियतन किए जाने के पात्र होंगे।

(iv) उप—डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिनकी सेवा गैर—संशोधित वेतनमान 12000—18300 रु0 में तीन वर्ष से कम होती है, जोकि उन्हें उच्च वेतन बैंड में जाने के लिए पात्र बना देती, गैर—संशोधित वेतन मान में उप—डीपीई/एडीपीई (प्रवरण ग्रेड) /कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण कर लेने तक 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में 8000 रु0 के एजीपी पर उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(v) सीधे भर्ती हुए उप—डीपीई का वेतन आरंभिक तौर पर 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड में 8000 रु0 के एजीपी के साथ नियत किया जाएगा, तथा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, सीधे भर्ती हुए उप—डीपीई और समकक्ष पदधारक, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400—67000 रु0 के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

अन्य, निबंधन और शर्तें:

वेतन—वृद्धियां:

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतन—वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग के 3 प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन—वृद्धि भी यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग की 3 प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर—चक्रवर्ती होगी।

(iii) एजीपी की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन—वृद्धियों की संख्या निम्न वेतन मान से उच्च वेतन मान में प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की विद्यमान स्तरों के अनुसार, होगी, तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 15600—39100 रु0 के वेतन बैंड से 37400—67000 रु0 के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन—वृद्धि नहीं दी जाएगी।

वेतन नियतन सूत्रः

केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन 'नियतन सूत्र' को पॉलीटेक्नीक शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्गों में समकक्ष पदों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए अपनाया जाएगा।

भर्ते:

(i) शिक्षकों तथा पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्गों के लिए यथालागू भर्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, ऐश्वर्य प्रतिपूर्ति भर्ते, बालक शिक्षा भर्ता, परिवहन भर्ता, मकान किराया भर्ता, प्रतिनियुक्त भर्ता, यात्रा भर्ता, महंगाई भर्ता, क्षेत्र आधारित विशेष प्रतिपूर्ति भर्ता आदि उन्हीं के भर्तों के समकक्ष होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भवीकार किए गए हैं तथा 01.09.2003 से लागू होंगे।

(ii) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पॉलीटेक्नीक तकनीकी शिक्षकों तथा अभातशिप द्वारा यथापरिभाषित पुस्तकालय में समकक्ष पदों के लिए केन्द्रीय सरकार समूह 'क' कर्मचारियों के लिए यथालागू भर्तों की दरें अपनाई जाएंगी।

(iii) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पॉलीटेक्नीक तकनीकी शिक्षकों तथा अभातशिप द्वारा यथापरिभाषित पुस्तकालय में समकक्ष पदधारी, जो 'निःशक्त व्यक्ति (अधिकारों, समान अवसरों और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1995' के उपबंधों के अंतर्गत दृश्य, अस्थि-संबंधी, अव्य अथवा अन्य निःशक्ताओं से ग्रसित हैं, परिवहन भर्ते की समान्य दर से दोगुने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निःशक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वीप सिफारिशों पर स्वीकार किया गया है।

अध्ययन अवकाशः

अनातशिप सेवाकाल के दौरान प्रासंगिक शाखा/विषय क्षेत्र में एम. टैक तथा पीएच.डी. अर्जित करने के लिए सर्वेतन अध्ययन अवकाश के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों को, तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के लिए रिक्त पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश के पश्चात रखे जाने वाले वर्षों की संख्या में छूट देते हुए संशोधित करेगी, ताकि पीएच.डी. अथवा उच्च योग्यता के बिना सेवा में प्रवेश करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उनके कैरियर में बाद के वर्षों के रथान पर शीघ्रताशीघ्र प्रासंगिक विषय-होत्रों में ये अर्हताएं अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

शिक्षकों के लिए विश्राम अवकाशः

तकनीकी शिक्षा तथा उद्योग के बीच अंतरसंपर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलीटेक्नीक संस्था में संकाय सदस्य को छह वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात किसी उद्योग में कार्य करने के लिए छह माह का विश्राम अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा अवकाश शिक्षक को उसके शिक्षण कैरियर में कोवल दो बार ही उपलब्ध होगा।

शोध संवर्धन अनुदानः

अभातशिप समर्स्त विषय-क्षेत्रों में शोध-कार्य करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उपयुक्त 'प्रारंभिक अनुदान' प्रदान करने के माध्यम से उपयुक्त दिशा-निर्देशों के साथ एक स्कीम विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें 'वृनियादी विज्ञान शोध को मजबूत बनाने पर प्रो० एम.एम. शर्मा समिति' द्वारा यथाअनुशसित वृनियादी विज्ञान शोध भी शामिल होगा।

अधिवर्षिता की आयुः

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति तथा इसके परिणामस्वरूप उनमें विद्यमान खाली पदों से निपटने के लिए, पात्र लोगों को शिक्षण कैरियर में आकर्षित करने तथा एक लंबे समय तक शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए क्लास रुम शिक्षा में शामिल शिक्षकों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के पत्र सं० एफ०सं० १९/२००१-य०-॥ दिनांक 23.3.2007 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु को पैसठ वर्ष तक बढ़ाया गया है।

(ii) रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा शारीरिक सक्षमता के अध्यधीन, शिक्षक साठ वर्ष की आयु के पश्चात सत्र वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति पर पुनःनियोजित भी किए जाएंगे। तथापि, अधिवर्षिता की आयु के पश्चात पुनःनियोजित घयनात्मक आधार पर प्रथम वार तीन वर्ष की सीमित अवधि के लिए तथा उसके पश्चात दो वर्ष की आगे अन्य अवधि के लिए पूर्णतः गुणागुण, अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा समकक्ष समूह पुनरीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा ऐसा पात्र शिक्षकों के घयन अथवा प्रोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किए बगैर केवल उपलब्ध रिक्त पदों के लिए ही किया जाएगा।

(iii) जबकि क्लास रुम शिक्षण में लगे शिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि का आशय योग्य व्यक्तियों को शिक्षण कैरियर के प्रति आकर्षित करना तथा शिक्षकों को एक लंबी अवधि तक सेवा में बनाए रखने के माध्यम से शिक्षकों के अभाव को दूर करना है, तथा जबकि पुस्तकालय की प्रेणियों में कोई ऐसा अभाव नहीं है, वर्तमान अधिवर्षिता की वासाठ वर्ष की आयु में वृद्धि पुस्तकालय प्रेणियों के लिए लागू नहीं होगी।

पेशनः

- i) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पेशन प्राप्त कर रहे शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के लिए छन्दीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथालागू पेशन तथा गेच्युटी के लिए केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे।
- ii) 1.1.2004 से लागू नई पेशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए, पेशन के संपरिवर्तन के लिए केसी भी नए मामले को अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवार पेशन:

छठ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित परिवार पेशन की सुविधाएं तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए उपलब्ध होंगी।

(i) वरिष्ठ पेशनरों को पेशन का अतिरिक्त परिमाण: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ पेशनरों के लिए स्वीकार किए गए अतिरिक्त परिमाण की सुविधा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी जो अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शिक्षण तथा अन्य संवर्गों में हैं अथवा ये, यदि वे अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पेशन स्कीमों में पहले से ही विद्यमान हैं।

(ii) गेव्युटी और अवकाश का भुगतान: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्वीकार की गई गेव्युटी तथा अवकाश-भुगतान की सुविधाएं अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं ने शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के संवर्गों के लिए भी लागू रहेंगी।

(iii) उपदान प्रतिपूर्ति: शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों, जिनकी उनकी वारतविक डचूटी के निष्पादन के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवारों को उसी रीति से प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसीकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष परिवारों को की जाती है।

भविष्य निधि:

(i) अंशदायिक भविष्य निधि के संबंध में वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति जारी रखेंगी।

परामर्शी कार्य:

अभातशिप एक उपयुक्त मॉडल तैयार करेगा जिसके लिए संस्थाओं तथा परामर्शी-शिक्षकों के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा अन्य संस्थाओं में विद्यमान राजस्व साझेदारी को ध्यान में रखा जाएगा।

पिछली पीआरसी में विसंगतियां:

पिछली वेतन पुनरीक्षा समिति की विसंगतियों तथा गैर-क्रियान्वित सिफारिशों, यदि कोई हैं, की अभातशिप द्वारा मानव संसाधन विकास सत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जाएगी।

पीआरसी तथा अभातशिप की अन्य सिफारिशें:

वेतन पुनरीक्षा समिति तथा अभातशिप द्वारा विभिन्न चयन प्रक्रियाओं, सेवा और कार्य शर्तों, प्रशिक्षण / पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों आदि के संबंध में की गई सिफारिशों पर अभातशिप द्वारा, जहां कहीं अपेक्षित हो गा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, अथवा अभातशिप अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप परिषद के विनियोगों के अंतर्गत उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

व्यावसायिक विकास के लिए अनुदान:

(i) नए संकाय प्रवेशकर्ताओं को कम्प्यूटर, शिक्षण सामग्री जिसमें पुस्तकें, शोध सहायक—उपस्कर तथा कार्यालय सामग्री आदि शामिल हैं, खरीदने के लिए 1 लाख रु0 का एकवारीय प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा। विद्यमान शिक्षकों को भी कम्प्यूटर की खरीद के लिए, जिसमें कम्प्यूटर के उन्नयन अथवा नए कम्प्यूटर खरीदने (विशेष रूप से वे, जिन्होंने ऐसी सुविधाएं पूर्व में भी हासिल की हैं), पुस्तकें एवं शोध सहायक—उपस्कर सहित शिक्षण सामग्री के लिए 1 लाख रु0 तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।

(ii) सभी शिक्षकों को व्यावसायिक सोसाइटियों की सदस्यता हासिल करने के लिए तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर 1 लाख रु0 का अनुदान दिया जाएगा।

स्कीम की प्रयोज्यता:

(i) यह स्कीम तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा समर्स्त अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पुस्तकालय के अन्य समकक्ष संबर्गों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए लागू होगी। संशोधित वेतनमानों का क्रियान्वयन इस पत्र में उल्लिखित तथा इस संबंध में अभातशिप द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों की स्वीकृति के अध्यधीन होगा।

(ii) यह स्कीम व्यावसायिक पदों जैसे प्रणाली-विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, अनुसंधान अधिकारी आदि तक विस्तारित नहीं की गई है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के शोध/वैज्ञानिक संगठनों में समान अर्हक कार्मिकों के समकक्ष माना जाता है।

(iii) यह स्कीम राज्य विधानमण्डलों के अंतर्गत आने वाली समर्स्त पॉलीटेक्नीक तकनीकी संस्थाओं पर लागू होगी।

(iv) पॉलीटेक्नीक शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन आदि के परिणामस्वरूप समर्स्त देयता राज्य सरकार की होगी।

राज्य सरकारें, अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक के अनुसार, इस स्कीम में उल्लिखित वेतनमानों से उच्च वेतनमान लागू करने पर भी निर्णय ले सकेंगी, तथा संशोधित बैडों/वेतनमानों को 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात की तारीख को प्रवृत्त कर सकेंगी। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के “पॉलीटेक्नीकों पर सब-मिशन” के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

संशोधित वेतन तथा भत्तों के क्रियान्वयन की तारीख और देय-राशि का भुगतान:

(i) इस स्कीम के अंतर्गत वेतन तथा मंहगाई भत्ते की संशोधित दर 01.01.2006 से प्रभावी होगी। संशोधित दरें तथा अन्य सभी लागू भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता आदि तथा गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां 01.09.2008 से प्रभावी होंगी।

(ii) सकल देय-राशि की 40 प्रतिशत देय राशि का भुगतान, लागू आयकर की कटौती करने के पश्चात्, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 के दौरान कर दिया जाएगा।

(iii) इस रकीम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से इस आशय का वचन लिया जाएगा कि यदि संशोधित वेतन बैंडों में वेतन के गलत नियतन अथवा अनुपयुक्त वेतन बैंड/शैक्षणिक घेड वेतन प्रदान किए जाने अथवा किसी अन्य अधिक भुगतान के किए जाने के परिणामस्वरूप की गई अधिक अदायगी का सामायोजन लाभार्थी को देय भावी भुगतानों अथवा अन्यथा से उसी रीति से किया जाएगा जैसीकि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कांडा. सं0 एफ 1-1/2 सीक्यू 8-आईसी दिनांक 30.08.2008 के साथ पठित इस मंत्रालय के कांडा0 सं0 23-7/2008-आईएफडी दिनांक 23.10.2008 में उपर्युक्त है।

(iv) लागू भत्तों तथा ऊपर उल्लिखित वेतन की देय-राशि के साथ प्रासंगिक वेतन बैंड तथा शैक्षणिक घेड वेतन में संशोधित वेतन का भुगतान इस रकीम के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को अभातशिप द्वारा विनियमों के जारी होने तक जाएगा।

(v) इस रकीम के क्रियान्वयन में विसंगतियां, यदि कोई हैं, स्पष्टीकरण के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अभातशिप के ध्यान में लाई जाएं।

संकाय मानदण्ड

डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव

पद	अर्हता	अनुभव
व्याख्याता / कार्यशाला अधीक्षक		
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	प्रासंगिक शाखा में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री। यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में निष्ठात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्ठात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
मेषजी	भेषजी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री। यदि उम्मीदवार के पास मेषजी में निष्ठात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्ठात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
होटल प्रबंधन एवं स्वानन्दान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी)	एचएमसीटी में 4 वर्ष की प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा स्नातक में प्रथम श्रेणी (10+2 के पश्चात एचएमटीसी में 3 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा) अथवा समकक्ष	शिक्षण/उद्योग/शोध में एक वर्ष का प्रासंगिक अनुग्रह अथवा शिक्षण/उद्योग/शोध में दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव

वारसुकला	वारसुकला में प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष यदि उम्मीदवार के पास वारसुकला में निष्पात डिग्री है, तो स्नातक अथवा निष्पात रतर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
ललित कला	ललित कला की उपयुक्त शाखा (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला अथवा मूर्तिकला) में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष यदि उम्मीदवार के पास ललित कला (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला, और मूर्तिकला) में निष्पात डिग्री अथवा समकक्ष है, तो स्नातक अथवा निष्पात रतर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
मानविकी एवं विज्ञान	स्नातक अथवा निष्पात रतर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी निष्पात डिग्री	
विभागात्मक		
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	स्नातक अथवा निष्पात रतर पर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक या निष्पात डिग्री अथवा स्नातक अथवा निष्पात रतर पर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री और निष्पात डिग्री और	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के उपयुक्त विषयकोत्र में पीएच.डी. अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
भेषजी	स्नातक रतर अथवा निष्पात रतर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक डिग्री और निष्पात डिग्री अथवा स्नातक रतर अथवा निष्पात रतर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक डिग्री और निष्पादन डिग्री और	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव.
	भेषजी में पीएच.डी. अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी)	स्नातक अथवा निष्पात रतर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एचएमसीटी में स्नातक डिग्री और निष्पात डिग्री	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव

	<p>अथवा</p> <p>स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एचएमसीटी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री और</p> <p>एचएमसीटी में अथवा समकक्ष में पीएच.डी. अथवा समकक्ष</p>	<p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रारंभिक अनुभव</p>
वास्तुकला	<p>स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री और</p> <p>वास्तुकला में पीएच.डी. अथवा समकक्ष</p>	<p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रारंभिक अनुभव वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा</p>
प्राचार्य	<p>विभाग अध्यक्ष के पद के लिए उपर्युक्तानुसार योग्यता तथा इंजीनियरिंग में पीएच.डी.</p> <p>अथवा</p> <p>विभागाध्यक्ष के पद के लिए उपर्युक्तानुसार योग्यता</p>	<p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रारंभिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के स्तर पर होना चाहिए</p> <p>वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा</p>

टिप्पणी:

पीएच.डी. की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधिकारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।

पीएचडी एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

शोध अनुभव के मामले में, बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों के रिकॉर्ड प्रदरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, मुण्डवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिमागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए प्रबंधन और नेतृत्व के लिए अभिरुचि अनिवार्य है, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम /वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्याइंट सिस्टम अपनाया गया है, तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगा:-

ग्रेड प्याइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

डॉ. डॉ. के. पालीवाल, सदस्य सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन III/4/162/09-असा.]